

➤ अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाना है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, शोबिता देवी.....(ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम),
ग्राम प्रधान/सरपंच- ग्राम पंचायत सरौली.....विकास
खंड: मुहम्मदाबाद.....जनपद गाजीपुर
.....प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री श्री श्रीमती
बल्लू कुमार.....(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
विरवनाथ प्रसाद.....(पिता/माता का नाम), निवासी
सरौली.....(ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या 5428 8729 2877.....(आधार संख्या) है, ने हमारी
ग्राम पंचायत सरौली में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक:.....

प्रधान. शोबिता देवी
ग्राम पंचायत-सरौली
न्याय पंचायत
विकास खण्ड-मुहम्मदाबाद
जनपद-गाजीपुर (उ०प्र०)

हस्ताक्षर और मुहर

ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम
(ग्राम पंचायत)